वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

वेब साईट :www.vbspu.ac.in
aracademicvbspu@gmail.com

पत्रांक : 3780/शैक्षणिक / 2021 अनुस्मारक पत्र दिनांक– 06.12.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषय– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र संख्या 1022 / शैक्षणिक / 2021 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में शासन के संलग्नक पत्र संख्या 1969 / सत्तर–3 / 2021 उच्च शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 18 अगस्त 2021 के द्वारा दिए गए निर्देशों का अविलम्ब अनुपालन करते हुए वोकेशनल / कौशल विकास / रोजगार परक पाठ्यक्रम के विषय में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप को पूरित करते हुए एक सप्ताह के अंदर सूचना सहायक कुलसचिव शैक्षणिक, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पद नाम पर पंजीकृत डाक से भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक–

1– शासनादेश संख्या–602 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 की छाया प्रति।
2– शासनादेश संख्या 1969 / सत्तर–3 / 2021 उच्च शिक्षा अनुभाग 3 दिनांक 18 अगस्त 2021 की छायाप्रति।
3– शासन द्वारा निर्धारित कौशल विकास पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए प्रारूप।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
3. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त विभाग।
4. प्रो0 मानस पाण्डेय, संयोजक, आइ0क्यू0ए0सी0।
5. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को लॉगिन पोर्टल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव
शैक्षणिक

संख्या– 602 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।
4. निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2021

विषयः–उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य MoU के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 03.02.2021 को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य MoU हस्ताक्षरित हुआ है।उक्त हस्ताक्षरित MoU की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अवगत कराना है कि इससे उद्योग एवं विश्वविद्यालय के साथ–साथ कार्य करते हुये प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास में व्यापक योगदान दे सकते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा शोध एवं अनुसंधान औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उद्योग स्थानीय एवं वैश्विक दोनो स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए अपनी R&D समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा जगत की ओर देखते हैं जिसमें यह MoU लाभप्रद साबित हो सकता है।

2– सहयोग के लिए क्षेत्र

उत्तर प्रदेश राज्य में हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, ODOP और MSME क्षेत्र के अन्य उत्पादों के डिजाइन, प्रौद्योगिकी, विपणन और वित्तीय प्रबंधन आदि में सुधार लाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:–

i- इकाइयों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप
ii- इकाइयों में छात्रों के लिए शोध प्रबंध
iii- संयुक्त परियोजनाएं
iv. संयुक्त अनुसंधान
v- संयुक्त प्रकाशन
vi. संयुक्त सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन
vii- कोई भी सहयोगी प्रयास जो समय–समय पर वांछित होंगे।

3– उक्त MoU के कम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश DoHE एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (DoMSME) विभाग, उ0प्र0 द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत् है:–

DoHE द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

i. DoHE अपने दायरे में आने वाले HEIs को जिलेवार मैप करेगा तथा उसकी सूचना जिलाधिकारी एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों को उपलबध करायेगा।

ii. Deputy Commissioner, District Industries and Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) के परामर्श से MSME इकाइयों में उपरोक्त संस्थानों के छात्रों की इंटर्नशिप होगी।

iii. उच्च शिक्षा संस्थान MSME उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उद्योग इको–सिस्टम में सुधार करने के लिए अपने छात्रों की इंटर्नशिप शुरू करेंगे।

iv. स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एक परियोजना को पूरा करना होगा। संस्थान इन छात्रों को MSME उत्पादों पर आधारित परियोजनाओं के बारे में सुझाव प्रदान करेंगे।

v. विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक हैकथॉन का आयोजन किया जाएगा। हैकथॉन का प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई, हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी इकाइयों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को हल करना होगा।

vi. DoHE कारीगरों, शिल्पकारों और क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के क्षमता निर्माण के लिए अल्पकालिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा।

vii. DoHE विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेगा और MSME के माध्यम से उत्तरप्रदेश के विकास में सहयोग करेगा।

viii. उच्चशिक्षा विभाग ODOP और अन्य हस्तशिल्प/हथकरघा/खादी उत्पादों के माध्यम से उत्तरप्रदेश की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देगा और इस प्रकार वोकल–लोकल–ग्लोबल अवधारणा पर इन उत्पादों की बाजार क्षमता में सुधार करेगा।

ix. विश्वविद्यालय उद्योग संगठनों और प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर के उनके CSR Fund के उपयोग से क्षेत्र में नवाचार के लिए सहयोग करेंगे।

x. DoHE राज्य के HEIs द्वारा प्रस्तुत ODOP संबंधित 'उत्कृष्टताकेंद्र' के प्रस्तावों को उद्योग कार्यालय को प्रेषित करेगा जो मानदंडों के अनुसार उनकी व्यवहार्यता के लिए इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा।

xi. प्रत्येक मैप किए गए संस्थान/कॉलेज द्वारा नामित समन्वयक स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए संबंधित DCI DIEPC के साथ नियमित बैठकें करेंगे।

xii. विश्वविद्यालय/संस्थान DoMSME द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान देकर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

DoMSME द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

i. DoMSME हथकरघा, हस्तकला, खादी, ODOP और अन्य MSME इकाइयों का जिलेवार मैप तैयार करेगा तथा उसकी सूचना जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध करायेगा।

ii. DoMSME अनुसंधान, इंटर्नशिप और छात्रों की परियोजनाओं के लिए अपने DCI DIEPC के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मौजूद इकाइयों के साथ DoHE के तहत संस्थानों को जोड़ने में मदद करेगा।

iii. DCI DIEPC / DoMSME विश्वविद्यालयों में हैकथॉन के संचालन के लिए सेक्टर–विशिष्ट मुद्दों को प्रस्तुत करेगा।

iv. DoMSME / DCI DIEPC नवाचार को बढ़ावा देने हेतु छात्रों की इंटर्नशिप के लिए सलाह देगा।

v. DCI DIEPC/ DoMSME विश्वविद्यालयों और इसके कॉलेजों को FDP / प्रशिक्षण / कार्यशालाओं / बैठकों / आयोजनों को करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करेगा।

vi. DoMSME क्षेत्र की मांग के अनुसार नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास में योगदान करेगा।

vii. DoMSME इकाइयों की समस्याओं से संबंधित स्टार्ट–अप के पोषण और MSME उत्पादों से संबंधित प्रयोगशालाओं और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में HEIs को सलाह देगा।

4. विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे स्थानीय स्तर पर MSME के अधिकारियों से समन्वय करके उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार करके अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों को उपलब्ध करायें तथा कृपया उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित करें।

अनुरोध है कि उक्त MoU के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 602 (1)/ सत्तर–3–2021, तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० सरकार।
2– निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० सरकार।
3– अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

This Memorandum of Understanding is made on 03rd Feb 2021, at Lucknow, Uttar Pradesh.

BETWEEN

Department of Higher Education Govt. of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "DoHE") through Smt Monika S.Garg, Additional Chief Secretary, DoHE

AND

MSME& Export Promotion Department, Govt. of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "DoMSME") through Shri Navneet Sehgal, Additional Chief Secretary, DoMSME

DoHE and DoMSME are herein after collectively referred to as "Parties" and individually as "Party" "1st party" and "2nd Party" respectively.

WHEREAS through this MoU, DoHE and DoMSME would like to reach out to handloom weavers, handicraft artisans, khadi, ODOP and other MSME units of Uttar Pradesh (collectively referred to as the 'units' hereinafter), through various means, to address design, technical, managerial and capacity building and marketing requirements for their businesses.

NOW, THEREFORE, THIS MoU WITNESSES as below:

I. ROLES AND RESPONSIBILITIES:

A) Broad Areas for Cooperation

DoHE and DoMSME will cooperate in the following areas; with the objective of improving design, technology, marketing and financial management of products and units of

handloom, handicraft, khadi and MSME sector in the state of Uttar Pradesh (collectively referred to as the 'sector' hereinafter)

i. Internship for students in the units
ii. Dissertation projects for students in the units
iii. Joint projects in the sector
iv. Joint research in the sector
v. Joint publications
vi. Organising of joint seminars and conferences
vii. Any collaborative efforts that both may deem fit from time to time.

B) DoHE

1. DoHE will map colleges, State and Private universities under its ambit, district-wise.

2. The above institutes will have internship of their students in above units which will be arranged in the local industries by concerned Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) in consultation with the local industry representatives.

3. Institutes will initiate internship of their students to improve marketing linkage, branding, industry eco-system of their products.

4. The students doing graduate/post graduate courses need to complete a project as part of their curriculum. Institutes will endeavour to suggest/provide above products-based projects to these students.

5. A yearly hackathon will be organized by universities which will be open to all affiliated colleges and other institutes in that region. The primary purpose of the hackathon shall be to solve specific issues related to MSMEs, handloom, handicraft and khadi units.

6. DoHE will study the feasibility of creation of short-term /vocational/ bridge courses for capacity building of artisans, craftsman and others associated with the sector.

7. DoHE will motivate students graduating from the university for becoming entrepreneurs and lead Uttar Pradesh's manufacturing growth story through MSME lens.

8. DoHE will innovatively use and connect the culture and heritage of Uttar Pradesh with age-old lineage of ODOP and other handicraft/handlooms/khadi products, thus promoting Vocal-Local-Global concept and thus, improving marketability of these products.

9. Universities will forge collaborations with Industries associations and reputed companies for usage of their CSR funds to drive innovations in the sector's ecosystem through university's affiliated institutes.

10. DoHE will forward the proposals submitted by State Universities for creation of 'Centre of Excellence' for these products to Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) will evaluate these proposals for their feasibility and support as per norms.

11. A coordinator from each mapped institute/college will have regular meetings with respective Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) to understand the local issues of the sector.

12. Universities will provide technical guidance by giving lectures to the participants of training programs organized by DoMSME.

C) DoMSME

1. DoMSME will map the handloom, handicraft, khadi ODOP and other MSME units, district-wise.

2. DoMSME will help in connecting the institutes under DoHE with the units present in Uttar Pradesh through their Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) for research, internship and projects of students.

3. Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) /DoMSME will submit sector-specific issues to universities for conducting hackathon.

4. DoMSME/ Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) will advise problem statements for internship of students to foster innovation.

5. DoMSME will provide infrastructure (Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) offices can be utilised for the purpose) to carry out FDPs/ trainings/ orientation workshops/ meetings/ events, to these sector to DoHE and its colleges.

6. DoMSME will facilitate in the development of new academic programmes as per the demand of the sector.

7. DoMSME will advise HEIs in nurturing start- ups specifically pertaining to problems of the units in Uttar Pradesh and in framing the guidelines for setting up labs and incubation centres related to MSME products.

II. PROJECT TIMELINE

This MoU will commence from January, 2021 and will continue till December, 2026, unless any party wants to terminate this MOU by giving notice to the other party as per provisions of Article V of this MOU.

III. OPERATIONS AND CO-ORDINATIONS

1. DoMSME and DoHE will have periodic meetings to review progress of the MoU implementation.

2. DoMSME and DoHE will mutually acknowledge the contribution of each other, wherever possible, on their website and media platforms including print, TV and digital media.

3. Any amendment in this MoU will be made in writing by mutual consent of both the parties.

IV. FORCE MAJEURE

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure" means an event which is beyond the reasonable control of a Party, either DoMSME or DoHE and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably to be considered impossible in the circumstances and include, but is not limited to war, riots, civil disorder, earthquakes, fire, explosions, storm, flood, and other adverse weather conditions, strikes, lock-outs, or other similar actions, political uncertainties, change in priorities in the National and State missions, which is not within the power of the Party invoking "force majeure" to prevent any other action by the other Party.

2. If any Party finds itself incapable to perform its duty due to force majeure, it will give notice to other Party that force majeure event has arisen.

3. The failure of any Party, either the DoMSME or DoHE, to fulfil any of its obligations hereunder shall not be considered to be the breach of or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the Party affected by such event should take all reasonable precautions and due care for reasonably carrying out the terms and conditions of this MoU.
4. In the event of a force majeure, DoMSME and DoHE shall consult with each other with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

V. TERMINATION

This MoU can be terminated by either side with a written notice of 60 days, giving adequate reason.

VI. DISPUTES AND ARBITRATION

Any dispute between DoHE and DoMSME on any matter that has relevance to the smooth and effective implementation of the MoU shall be settled through mutual discussion.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have signed this MoU on the day and year first above written.

For and on behalf of DoMSME

(Navneet Sehgal)
Additional Chief Secretary,
Department of MSME & Export Promotion,
Govt. of Uttar Pradesh

For and on behalf of DoHE

3/2/21

(Monika S Garg)
Additional Chief Secretary,
Department of Higher Education,
Govt. of Uttar Pradesh

Witness 1
Name: (PRADEEP KUMAR)
Designation: Special Secretary
DoMSME

Signature:

Witness 2 ABDUL SAMAD
Name:
Designation: Special Secretary
DoHE

Signature:

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2021

1– कुलपति
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप के लिये शिक्षण संस्थान संम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा संम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठयक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इर्न्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों मे विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य/थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Aliened NSQF level	
Expected fees of the course –Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-……	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-……	
Max Marks…100…… Minimum Marks……	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject …… in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)